न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
11/2012 प्रा.पत्र/2012	14.05.2012	04.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन विक्रेता मैसर्स गप्पु लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी, निवासी वार्ड नं. 5, गुर्जरों को मोहल्ला निवाई जिला टोंक
2–श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन मालिक मैसर्स गप्पु लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी, निवासी वार्ड नं. 5, गुर्जरों को मोहल्ला निवाई जिला टोंक
3–श्री जितेन्द्र सिंह सोल प्रोपरायटर मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–40 अग्रसेन टावर सैन्ट्रल स्पाइन विद्याधर नगर जयपुर निवासी वार्ड नं. 6 फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री तेजमल जैन
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.10.2011 को समय 12:10 पी.एम. पर मैसर्स गप्पु लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड** 500 मिली लीटर के लगभग 20 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर सह सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500 मिली लीटर के 4 मूल पैक खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड** 500 मिली लीटर के 4 मूल पैक को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर ढक्कन को एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–132 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–132 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री गप्पु लाल जैन विक्रेता मैसर्स गप्पु लाल महावीर प्रसाद एण्ड कम्पनी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–40 अग्रसेन टावर सैन्ट्रल स्पाइन विद्याधर नगर जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/11/4074 दिनांक 25.11.11 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/15/एफ.एस.एस.ए./2011/15 दिनांक 20.10.11 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं अप्रार्थी सं. 3 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। मात्र इसके लेबल पर प्रोपरायटरी फूड की श्रेणी अंकित नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **माईल्ड फेट विश्वास गोल्ड** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0